पत्र संख्या-कम्प्यूटर-मिशन मोड प्रोजेक्ट/ 2010-11/ 813 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश।
(आई0 टी0 अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक: 20 : दिसम्बर,2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक),वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विभाग में कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 से व्यापक स्तर पर प्रारम्भ हुआ था, जिसमें सभी कार्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये थे तथा विभागीय प्रक्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के Application Software विकसित किये गये थे। साथ ही प्रदेश के 93 मण्डल कार्यालयों में लोकल सर्वरों की स्थापना करके उनमें इन सॉफ्टवेयर्स को instal किया गया था ताकि कार्यालयों में लगे कम्प्यूटरों को इससे जोड़कर इन साफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जा सके। समस्त लोकल सर्वर नेट वर्किंग के माध्यम से विभाग के केन्द्रीय सर्वर से भी जोडे गये थे, ताकि समस्त सूचनाएं केन्द्रीय सर्वर पर भी उपलब्ध रहें तथा अधिकारी इसकी सहायता से किसी भी सूचना का सत्यापन कर सकें। परन्तु यह पाया गया है कि कम्प्यूटरीकरण की इन तमाम व्यवस्थाओं का सही उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके कारण विभाग के कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है।

विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 में प्रदेश में वैट लागू होने के पश्चात करदाताओं में इस नई व्यवस्था के प्रति विश्वास सुदृढ़ करने के लिए **"अविश्वास से विश्वास की ओर"** का motto अपनाया गया है, जिसके अन्तर्गत विभाग निरन्तर इस बात के लिए प्रयासशील है कि करदाताओं को विभागीय औपचारिकताएं कम से कम पूरी करने पड़े तथा उन्हें कार्यालय कम से कम आना पड़े।

अत: विभाग के इस उद्देश्य तथा विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं विभिन्न स्तरों पर दायित्व के स्पष्ट निर्धारण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर पर विभाग के वृहद स्तर पर कम्प्यूटरीकरण का निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि कम्प्यूटरीकरण से सम्बन्धित समस्त कार्य माह सितम्बर 2011 तक पूर्ण व कार्यशील कर दिये जाय। तद्नुसार आवश्यक है कि फील्ड के अधिकारियों को भी इस दिशा में हुई प्रगति तथा आगे प्रस्तावित कार्यवाहियों से अद्यावधिक रुप से अवगत रखा जाय ताकि इनके क्रियान्वयन में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित हो सके।

विभाग के कम्प्यूटीकरण के सम्बन्ध में अब तक की गयी व आगे प्रस्तावित कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

1- कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाहियों पर नीति विषयक निर्णय लेने के लिए मुख्यालय पर एक कोर-टीम **(ई-पायनियर्स)** का गठन किया गया है। यह टीम NIC के सहयोग से कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में निर्णय लेने के अतिरिक्त सम्बन्धित माड्यूल को तैयार कराने का भी कार्य करेगी। इस टीम के प्रत्येक सदस्य को माड्यूल लीडर भी बनाया गया है जो माड्यूल बनाने से लेकर के उसे लॉन्च करने तक की समस्त कार्यवाही सम्पन्न करेंगे।

2- मुख्यालय स्तर की उक्त टीम के अन्तर्गत फील्ड में भी कम्प्यूटरीकरण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की एक टीम **(ई-चैम्पियन्स)** बनाई गयी है। इस हेतु प्रत्येक जोन से 2 अधिकारियों का चुनाव करके उन्हें

मुख्यालय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा आगे प्रत्येक सम्भाग तथा प्रत्येक मण्डल से भी एक-एक अधिकारी का चुनाव करके उन्हें **ई-चैम्पियन** के रुप में ट्रेनिंग दी जायेगी।

3- यह **ई-चैम्पियन** अपने जोन व सम्भाग में अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि यथा सम्भव इन अधिकारियों का आगे 2 वर्षो में कहीं अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। इन अधिकारियों की प्रोन्नति होने पर भी इन्हें यथासम्भव उसी जोन/ सम्भाग में रखा जायेगा।

4- वर्तमान में करदाताओं के लिए विकसित ई-रिटर्न, नेट पेमेण्ट व फार्म-38 की आन लाइन डाउनलोडिंग के साफ्टवेयर कार्यशील हैं, जिसके माध्यम से उनके द्वारा विभिन्न सुविधाएं आन लाइन प्राप्त की जा रही हैं।

ई-रिटर्न को दि0 01-01-2011 से लगभग सभी व्यापारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है तथा आगे सभी प्रकार के विभागीय फार्मो को आन लाइन कर दिया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार वाणिज्य कर संग्रहण के लिए अधिकृत सभी बैंको में नेट-पेमेंण्ट की सुविधा शीघ्रातिशीघ्र लागू कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अत: आवश्यक है कि इनके बारे में समस्त अधिकारियों, व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं को गहन प्रशिक्षण दिया जाय ताकि करदाता इस सुविधाओं का पूरा उपयोग कर सके।

5- ई- रिटर्न एवं नेट-पेमेंण्ट की व्यवस्था को शत-प्रतिशत लागू करने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन पॉच खण्डों द्वारा 100% ई-रिटर्न का लक्ष्य सबसे पहले प्राप्त कर लिया जाता है, उनके अधिकारियों तथा जिन पॉच खण्डों में 90% नेट-पेमेण्ट का लक्ष्य सबसे पहले प्राप्त हो जाता है, उन खण्डों के अधिकारियों को इन उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया जायेगा।

6- सत्यापन एवं सांख्यकीय आवश्यकताओं के लिए विकसित विभिन्न प्रकार के साफ्टवेयर भी विभाग के केन्द्रीय सर्वर पर उपलब्ध है, जिनसे Match - Mismatch रिपोर्ट सहित विभिन्न प्रकार की MIS रिपोर्टें प्राप्त होती है। इन MIS रिपोर्टो के बारे में अधिकारियों को प्रशिक्षित करना भी **ई-चैम्पियन** का दायित्व है।

7- अब आगे रिटर्न फाइल न करने वाले व्यापारियों के लिए कम्प्यूटर से ही अर्थदण्ड की नोटिस जनरेट कराये जाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार पंजीयन प्रमाण-पत्रों में किये गये संशोधनों को सीधे केन्द्रीय सर्वर पर अपलोड करने की व्यवस्था बनाया जाना प्रस्तावित है ताकि स्थानीय सर्वर व केन्द्रीय सर्वर में प्रदर्शित हो रही व्यापारी की प्रास्थिति में कोई अन्तर न रहे। उक्त के अतिरिक्त फार्म-38 एवं फार्म-21 की वर्तमान व्यवस्था को कर्नाटक में लागू आन-लाइन व्यवस्था के अनुरुप संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें व्यापारी को अपने साथ फार्म-38 अथवा फार्म-21 लेकर चलने के बजाय वेबसाइट से जनरेट हुआ एक क्रमांक ही लेकर चलना पर्याप्त होगा। रास्त में जॉच करने वाले सचल दल के अधिकारी इस क्रमांक के आधार पर SMSद्वारा ज्ञात कर सकेंगे कि व्यापारी द्वारा माल के मूल्य, मात्रा व इन्वायस संख्या / तिथि आदि के सम्बन्ध में वेबसाइट पर क्या घोषणा की गयी है।

यह व्यवस्थाएं लागू हो जाने पर इनके सम्बन्ध में व्यापक प्रशिक्षण देने का कार्य भी ई-चैम्पियन्स का होगा।

8- विभागीय कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) का दायित्व पूर्व में ही मुख्यालय के परिपत्र सं0-592 दि0 21-09-2010 द्वारा निर्धारित किया जा चुका है। इसी प्रकार नेट-पेमेण्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए विस्तृत निर्देश मुख्यालय के परिपत्र सं0-आई0टी0अनुभाग/नेट बैंकिंग/2010-11/706/ वाणिज्य कर दि0 16-11-2010 द्वारा दिए जा चुके हैं। इन सब के साथ ही प्रत्येक जोनल एडीशनल कमिश्नर के भी निम्न दायित्व होंगे :-

(क) जोन के शत-प्रतिशत अधिकारियों को कम्प्यूटरीकरण के कार्यों हेतु प्रशिक्षित करना।

(ख) बाजारों में व्यापारियों के ट्रेनिंग की व्यवस्था करना।

(ग) हेल्प डेस्क की स्थापना करना जिसमें व्यापारियों से ई-रिटर्न दाखिल कराने की व्यवस्था होगी।

(घ) अधिवक्ताओं की ट्रेनिंग।

(ड.) साइबर- कैफे स्वामियों को ट्रेनिंग, जिससे इनके माध्यम से व्यापारी ई-रिर्टन फाइलिंग, फार्म-38 डाउन लोडिंग एवं नेट-पेमेण्ट आदि की कार्यवाही कर सकें।

9- विभाग के कम्प्यूटरीकरण की उक्त कार्यवाही के अतिरिक्त कम्प्यूटीकरण की समस्त व्यवस्था को केन्द्रीयकृत किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत सभी 93 लोकल सर्वर्स लीज लाइनों के माध्यम से योजना भवन, लखनऊ में NIC द्वारा स्थापित किये जा रहे केन्द्रीय डेटा सेण्टर से जुड जायेंगे तथा तत्पश्चात समस्त साफ्टवेयर इस केन्द्रीय डेटा सेण्टर से ही संचालित होंगे। उक्त के अतिरिक्त कार्यालय के प्रत्येक पटल पर कम्प्यूटर स्थापित कर इसे स्थानीय सर्वर के माध्यम से उक्त डेटा सेण्टर से जोडा जायेगा, जिससे कि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, विभिन्न पटलों द्वारा सीधे केन्द्रीय सर्वर में फीड की जा सकें।

जोनल एडीशनल कमिश्नर का यह भी दायित्व होगा कि जैसे-जैसे यह कार्यवाहियाँ की जाती रहेंगी, वैसे-वैसे वह अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करने की कार्यवाही करते रहेंगे तथा अधिवक्ताओं एवं व्यापारियों के साथ बैठकें करके उन्हें भी इनसे अवगत कराते रहेंगे।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18/12

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्यकर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2- समस्त एडीशनल कमिश्नर, मुख्यालय एवं समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय।

3- अपर निदेशक (प्रशिक्षण)वाणिज्य कर, गोमती नगर, लखनऊ।

18/12

(एम0 के0 सिंह)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ